N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0004 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 09/01/2025 16:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 07/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 07/01/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:00 बजे **Time To (समय तक):** 20:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 09/01/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 09/01/2025 16:53:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 4.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** RAJESTHAN VIDHANSABHA MUKHYA GATE, JANPATH JAIPUR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIREN MEHTA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ASHWIN MEHTA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	A 404, BHOOMI RESIDENCY, KANDEEVLEE VEST, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, INDIA
2	स्थायी पता	A 404, BHOOMI RESIDENCY, KANDEEVLEE VEST, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	YUVRAJ YUDHISHITHIR		पिता:KAILASH NARAYAN MEENA	1. 496,CHHILA BAWARI KE PASS,RAJAWATO KA CHAUK,AMER,AMER,JAIPUR CITY
2	MUKESH KUMAR		पिता:RAMESHWAR KUMAR	1. 494,CHHILA BAWARI KE PASS,RAJAWATO KA CHAUK,AMER,AMER,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 3,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 07.01.2025 को श्री ओमप्रकाश किलानिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय ने मन छोटीलाल पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने सामने बेठे व्यक्ति से परिचय कराते हुये बताया कि यह श्री विरेन मेहता है, जिन्होने यह टाइपशुदा प्रार्थना पत्र मय टेण्डर दस्तावेज की प्रतिलिपि के पेश किया है और प्रार्थना-पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के मुझे सौंपते हुये आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक मय प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री विरेन मेहता के मेरे कक्ष में आया तथा श्री विरेन मेहता से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विरेन मेहता पुत्र अश्विन मेहता उम्र 31 वर्ष कार्यालय 501-510, पांचवां तल, कैलाश टावर, टोंक रोड़, लालकोठी, जयपुर निवासी ए-404, भूमि रेजीडेंसी, कांदीवली वेस्ट, मुम्बई-67 मोबाईल नंबर [redacted]होना बताया। इसके पश्चात् मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री विरेन मेहता द्वारा पेश टाइपशुदा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "मैं प्रार्थी विरेन मेहता पुत्र अश्विन मेहता उम्र 31 वर्ष कार्यालय 501-510, पांचवां तल, कैलाश टावर, टोंक रोड़, लालकोठी, जयपुर निवासी ए-404, भूमि रेजीडेंसी, कांदीवली वेस्ट, मुम्बई-67 हूं। मैं याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड (Yashi Consulting services private limited) में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। हमारी कम्पनी याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड भारत में मुख्यतया उत्तर व पश्चिमी क्षेत्र में यूडी टेक्स कलेक्शन, साफटवेयर डवलपमेंट व अन्य कार्यो के सरकारी क्षेत्र के टेण्डर प्राप्त कर कार्य करती है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-25 का यूडी टेक्स (UD Tax) एकत्रित किये जाने हेतु नगर निगम अलवर की ई-निविदा संख्या 8792 दिनांक 27.09.2023 में हमारी कम्पनी द्वारा अप्लाई करने पर हमारी कम्पनी याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को नगर निगम अलवर से उपरोक्त टेण्डर का वर्क आर्डर नम्बर RFP no. 16889 dt. 12.03.2024 प्राप्त हुआ। उपरोक्त टेण्डर की शर्तो के अनुसार हमारी कम्पनी को कार्य प्रारम्भ करने के लिए नगर निगम अलवर से सम्बन्धित टैक्स वसूली के डाटा एकत्रित कर वेरिफिकेशन के लिए नगर निगम में जमा कराने होते है। इसके बाद यह डाटा नगर निगम की रेवेन्यू शाखा द्वारा वेरिफाई करने व पुरानी केश बुक सरेण्डर करने के पश्चात नगर निगम की रेवेन्यू शाखा द्वारा कम्पनी को यूडी टेक्स एकत्रित करने के लिए बिल जारी करने/वितरण करने के लिए अधिकृत किया जाने के उपरांत हमारी कम्पनी द्वारा टैक्स वसूली सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ होना है। इसके लिए मैंने कम्पनी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे कर्मचारियों से डाटा वेरिफाई करवाकर एकत्रित डाटा दिनांक 22.10.2024 को कम्पनी के लेटर हेड से नगर निगम को जमा करवा दिया परन्तु करीब 03 महीने के उपरांत भी नगर निगम अलवर की रेवेन्यू शाखा के रेवेन्यू आफिसर युवराज द्वारा मेरी कम्पनी के डाटा वेरिफाई का कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हमारी कम्पनी द्वारा टेण्डर की शर्तों के अनुरूप टैक्स वसूली सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। रेवेन्यू आफिसर युवराज ने मुझे बुलाकर व मोबाइल पर वाट्स अप कॉल से वार्ता कर मेरी कम्पनी के डाटा वेरिफाई का कार्य पूर्ण कर कम्पनी को यूडी टेक्स वसूली के बिल तैयार/वितरित करने को अधिकृत करने के लिए 05 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है और मेरे द्वारा बातचीत करने पर नगर निगम अलवर का रेवेन्यू ऑफिसर युवराज इस कार्य के लिए 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत लेने के लिए सहमत हुआ है। मैं युवराज को रिश्वत नहीं देना चाहता और उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। इस कार्य के लिए मेरी कम्पनी ने मुझे अधिकृत किया है। मेरी युवराज से कोई रंजिश और लेन देन बकाया नहीं है। युवराज ने मेरे से वाट्स अप कॉल करके 03 लाख रूपये की रिश्वत की मांग की है।" उपस्थित परिवादी श्री विरेन मेहता की आईडी एवं याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को नगर निगम अलवर के टेण्डर के माध्यम से यूडी टैक्स कलेकशन का वर्क ऑर्डर प्राप्त होने से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की। उपस्थित परिवादी श्री विरेन मेहता ने मन् पुलिस

निरीक्षक को अवगत करवाया कि मेरी कम्पनी को अलवर नगर निगम में प्राप्त टेण्डर का कार्य मेरे द्वारा देखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा जमा करवाये गये डाटा का वेरिफिकेशन व केश बुक सम्बन्धी कार्य नगर निगम के रेवेन्यू ऑफिसर युवराज द्वारा किया जाना है। युवराज ने इस कार्य को करने के लिए मेरे से अलवर रहने के दौरान 05 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी जिसके सन्दर्भ में मेरे द्वारा युवराज से नेगोशियेशन करने पर 03 लाख रूपये रिश्वत की मांग युवराज द्वारा की गयी जिसके लिए मैंने युवराज से रिश्वत राशि के लेन देन के लिए वार्ता की थी। कल दिनांक 06.01.2025 को मेरे मोबाइल नम्बर [redacted] से युवराज के मोबाइल नम्बर [redacted]पर दो बार वाट्स अप कॉल पर वार्ता हुयी जिसमें मैंने युवराज को 03 लाख रूपये की कम्पनी से अप्रूवल लेने की बात कही व युवराज ने 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि मुझे अपने परिचित को आज जयपुर पहुंचने पर वार्ता करवाके दिलाने की बात कही है। उपरोक्त दोनों वाट्स अप कॉल वार्ताएं मैंने मेरे मोबाइल का स्पीकर ऑन करके मेरे दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रखी है जो मेरे पास सेव है। श्री विरेन मेहता के मोबाइल में सेव ऑडियो क्लिप्स में रिकॉर्ड वार्ताओं दिनांक 06.01.2025 का समय 02-24 पी.एम. के कॉल को सुनाया गया जिसमें श्री विरेन मेहता से रिश्वत राशि के अप्रूवल होने, थर्सडे की बजाय जल्दी देने के बारे में बातचीत रिकॉर्ड है तथा दूसरे कॉल समय 03-05 पी.एम. की रिकॉर्ड वार्ता में कल दिनांक को जयपुर में ही रिश्वत राशि किसी को दिलवाने की वार्ता रिकॉर्ड है। उपरोक्त वार्ताओं तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व बताये गये तथ्यों के आधार पर मामला लोकसेवक नगर निगम अलवर के राजस्व अधिकारी युवराज द्वारा यासी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को जारी कार्यादेश का कार्य प्रारम्भ करने देने की एवज में 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग की जाकर लोकसेवक राजस्व अधिकारी द्वारा जयपुर में अपने परिचित को दिलवाने की बात कही है। लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर रिश्वत की मांग किया जाना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अतः परिवादी विरेन मेहता व एसओ युवराज के मध्य पूर्व में हुयी वाट्स अप कॉल के अनुरूप रिश्वत मांग की सत्यापन वार्ता की निरन्तरता में पुनः परिवादी व एसओ की वार्ता करवायी जाकर सत्यापन करवाया जाना उचित प्रतीत होने पर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी श्री विरेन मेहता से कहा गया तो श्री विरेन मेहता ने अवगत करवाया कि युवराज जी केवल वाट्स अप काल पर ही वार्ता करते है तो मैं उनसे वाट्स अप कॉल पर वार्ता कर रिश्वत मांग के बारे में बातचीत कर लूंगा। इस पर समय 01-27 पी.एम. पर श्री विरेन मेहता के मोबाइल नम्बर [redacted]से एसओ युवराज के मोबाइल नम्बर [redacted] पर परिवादी से वाट्स अप कॉल लगवाकर एसओ युवराज से वार्ता करवायी गयी जिसमें परिवादी श्री विरेन मेहता द्वारा एसओ को रिश्वत राशि 04-00 पी. एम. तक उपलब्ध करवाने बाबत् कहा गया तो एसओ ने रिश्वत राशि प्राप्त करने बाबत अपने किसी परिचित को भेजने हेतु कहा गया व लालकोठी के आस पास पहुंचकर कॉल करने की बातचीत की गयी व परिवादी की फर्म से सम्बन्धित स्वयं के पास पेण्डिंग कार्य रिश्वत प्राप्त करने के उपरांत 03 दिन में करने की बात कही। उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में निर्धारित प्रक्रियानुसार रिकॉर्ड की व वाट्स अप कॉल के दौरान परिवादी के मोबाइल डिस्प्ले को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से रिकॉर्ड किया। समय 2 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंगत्र गवाहान श्री अक्षत शर्मा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल व श्री जगदीश नावरिया हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, सूरजपोल उपस्थित कार्यालय आये जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री विरेन मेहता से परिचय करवाकर ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इस पर दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये। समय 2-15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विरेन मेहता को संदिग्ध अधिकारी युवराज राजस्व अधिकारी नगर निगम अलवर को फर्म याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड जयपुर को अलवर शहर से यूडी टैक्स कलेक्शन से संबंधित जारी किये गये टैण्डर पर कार्य शुरू करने की एवज में रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने को कहा तो परिवादी श्री विरेन मेहता ने भारतीय प्रचलित मुद्रा के 500-500 रूपये के 600 नोट कुल राशि 3,00,000/- रूपये पेश किये। परिवादी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पेश किये गये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 3,00,000/- रूपयों के नोट्स पर अंकित नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उपरोक्त भारतीय प्रचलित मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोटो पर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री विकास कानि. 184 द्वारा कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त राशि को अखबार पर रखकर श्री विकास कानि. 184 से उक्त राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उपस्थित परिवादी विरेन मेहता द्वारा अपने पास से एक पीले रंग का कागज का लिफाफा रिश्वत राशि रखकर देने के लिए पेश किया। श्री विकास कानि. 184 से पीले रंग के लिफाफे पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगी रिश्वती राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोटो को इस पीले रंग के लिफाफे मे श्री विकास कानि0 से रखवाया गया तथा परिवादी श्री विरेन मेहता की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री जगदीश नावरिया से लिवाई जाकर परिवादी के पास स्वयं के मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात रिश्वती राशि का लिफाफा सीधे ही परिवादी विरेन मेहता के लेपटॉप बैग के सामने की जेब में श्री विकास कानि0 से रखवाया गया। परिवादी को हिदायत की गई कि वो रिश्वती राशि को अनावश्यक रूप से नही छुये तथा होशियार व चैकन्ना

रहें। साथ ही एसओ रिश्वत राशि लेने के पश्चात उसको कहां रखता है यह भी ध्यान रखे। इसके पश्चात परिवादी को मन पुलिस निरीक्षक को मेरे मोबाइल नम्बर पर मिस कॉल या सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट का डिब्बा निकलवाकर उसमें एक प्लास्टिक की चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरिन को दिखाया गया तो घोल रंगहीन रहा, उक्त घोल में श्री विकास कानि0 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दोनो हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर संदिग्ध इन रंग लगे हुये नोटों को अपने हाथों से छुएगा एवं उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थेलीन पाउडर का डिब्बा को वापस श्री विकास कानि0 से पोलिथीन की थैली में रखवाया गया तथा गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। अखबार जिस पर नोटों व पीले रंग के लिफाफे को रख कर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया, उपयोग में ली गई प्लास्टिक की चम्मच तथा डिस्पोजल गिलास, उक्त तीनों को नष्ट करवाया गया। श्री विकास कानि0 के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री विकास कानि0 मय फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा के मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री युवराज अथवा पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता के अनुरूप युवराज द्वारा अपने परिचित को रिश्वत राशि दिलवाने पर उनके मध्य लेन-देन के समय होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु पूर्व में परिवादी की संदिग्ध अधिकारी युवराज के मोबाईल पर करवाई गई वार्ता को रिकॉर्ड करने में काम लिए गये एक विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को इस्तेमाली प्रक्रिया परिवादी विरेन मेहता को समझाईश कर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आप जब संदिग्ध से वार्ता व रिश्वत लेनदेन करे तो वार्ता को रिकॉर्डर चालू कर रिकॉर्ड करे। समय 4-35 पी.एम. पर परिवादी श्री विरेन मेहता द्वारा अपने मोबाइल नम्बर [redacted] से एसओ युवराज के मोबाइल नम्बर [redacted] पर वाट्स अप कॉल करके एसओ से मिलने के स्थान के बारे में पूछा तो एसओ ने बताया कि मैं 10 मिनट में कॉल करके आपको बताता हूं। इस कॉल की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवायी गयी। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अवस्था में मेरे पास रखा गया। समय 6-00 पी.एम. पर परिवादी श्री विरेन मेहता के मोबाइल नम्बर [redacted] पर एसओ युवराज के मोबाइल नम्बर [redacted] से वाट्स अप कॉल आया और एसओ ने परिवादी को बताया कि मैं आधे घण्टे में लालकोठी आपके ऑफिस के पास पहुंच रहा हूं आप वहां मिल जाना। इस कॉल की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवायी गयी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अवस्था में मेरे पास रखा गया। समय 6-15 पी.एम. पर श्री विकास कानि. 184 को कार्यालय में ही छोड़ा जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय मय श्री ओमप्रकाश किलानिया अति. पुलिस अधीक्षक, श्री अभिषेक, उप अधीक्षक पुलिस, श्री मनोहर सिंह एएसआई, श्री पूरण सिंह हेड कानि. 95, श्री अशोक कुमार हेड कानि. 137, श्री अशोक कुमार हेड कानि.149, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 55, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 66, श्री वीरेन्द्र सिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी मय स्वतंत्र गवाहान श्री अक्षत शर्मा, श्री जगदीश नावरिया मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक उपकरणों लेपटोप, प्रिन्टर इत्यादि के सरकारी वाहनों से मय परिवादी श्री विरेन मेहता के लालकोठी, जयपुर स्थित परिवादी के कार्यालय हेतु रवाना होकर समय 6-30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के लालकोठी, जयपुर स्थित परिवादी श्री विरेन मेहता के कार्यालय कैलाश टावर के सामने पहुंचे व वाहनों को साइड में खड़ा करवा कर एसओ के कॉल का इंतजार किया। समय 07-50 पी.एम. पर परिवादी श्री विरेन मेहता के मोबाइल नम्बर [redacted] पर एसओ युवराज के मोबाइल नम्बर [redacted] से वाट्स अप कॉल आया और एसओ ने परिवादी को बताया कि मैं लालकोठी, जयपुर आ गया इस पर परिवादी ने एसओ को अपने आफिस आने के लिए कहा तो एसओ ने परिवादी को विधानसभा के मैन गेट के सामने आने के लिए कहा। इस कॉल की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवायी गयी। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व विडियो रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अवस्था में मेरे पास रखा गया। समय 7-55 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कैलाश टावर, लालकोठी, जयपुर से रवाना होकर एसओ के बताये स्थान विधान सभा के मैन गेट के सामने पहुंचने के लिए रवाना हुआ व विधानसभा के पास ज्योति नगर पुलिस थाने की तरफ वाले रोड़ पर कॉर्नर पर समय 08-05 पी.एम. पर परिवादी विरेन मेहता को छोड़ा गया और विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर एसओ से रिश्वत लेन देन के समय की जाने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत की जाकर विधानसभा के मैन गेट पर पहुंचने व एसओ को रिश्वत राशि दी जाने के पश्चात् निर्धारित ईशारा करने व एसओ रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इस बाबत ध्यान रखने की हिदायत कर रवाना किया। वाहनों को साइड में खड़ा करके मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी व एसओ के मध्य होने वाले रिश्वत लेन देन को देखने हेतु आस पास में मुकीम हुये। परिवादी विरेन मेहता पैदल

पैदल विधानसभा मुख्य गेट के पास जाकर खडा हो गया। कुछ समय पश्चात एक बोलेरो गाडी बरंग सफेद जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है जिसके नम्बर आरजे 14 टीएफ 8518 ज्योति नगर थाने की तरफ से आकर विधानसभा गेट के सामने तिराहे पर आकर रूकी जिसमे एक व्यक्ति काली जैकेट पहने हुये गाडी से उतरकर विधानसभा मुख्य दरवाजे के पास खडे परिवादी के पास जाता हुआ दिखाई दिया एवं परिवादी के पास पंहुच कर मोबाईल पर वार्ता करता हुआ दिखाई दिया और जिसने परिवादी की भी मोबाईल से वार्ता करता हुआ दिखाई दे रहा था, मोबाईल पर वार्ता करने के बाद परिवादी ने अपने लेपटॉप बैग में से रिश्वती राशि का पैकेट निकाल कर उस व्यक्ति को देते हुये नजर आया एवं परिवादी ने वक्त समय 8.15 पीएम पर अपने अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन देन का नियत ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के विधानसभा मुख्य गेट के पास खडे परिवादी विरेन मेहता के पास पहुंचे परिवादी श्री विरेन मेहता से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर कब्जा एसीबी लिया तथा परिवादी विरेन मेहता ने अपने पास खडे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि यह व्यक्ति है जिसने युवराजजी रेवेन्यु ऑफिसर नगर निगम अलवर से मेरी मोबाईल पर वार्ता करवाई है और युवराज जी ने रिश्वती राशि इस व्यक्ति को देने के लिए कहने पर मैने रिश्वती राशि का पैकेट इस व्यक्ति को दिया है जिन्होने अपने जैकेट के अन्दर डाल लिया है,जिस परउस व्यक्ति के दांये व बांये हाथ को पोंचो से हमराह जाब्ता से पकडावाया जाकर काबु मे लिया गया तथा रिश्वती राशि के बारे मे पूछा, इसी दौरान परिवादी से रिश्वती राशि लेने वाला व्यक्ति जिस बोलेरो गाडी से उतरकर आया था वह बोलेरो गाडी मुख्य दरवाजे के पास आकर रूकी जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने जाब्ता की मदद से बोलेरो चलाने वाले व्यक्ति एवं उसमे बैठे एक अन्य व्यक्ति को बोलेरो गाडी से उतरवाया जाकर डिटेन किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता का परिचय देकर रिश्वती राशि का पैकेट लेने वाले व्यक्ति को नाम पता पुछा तो उस व्यक्ति अपना नाम श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री रामेश्वर कुमार उम्र 38 साल, जाति जागा निवासी मकान नम्बर 494, छीला बावडी के पास राजावतो का चैक आमेर होना बताया तथा बोलेरो गाडी चलाने वाले व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम युवराज युधिष्ठिर मीणा पुत्र श्री केलाश नारायण मीणा, उम्र 36 साल, निवासी मकान नम्बर 496, छीला बावडी के पास राजावतों का चैक आमेर हाल कर निर्धारिक अतिरिक्त प्रभार राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर होना बताया एवं साथ वाले व्यक्ति ने अपना नाम श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, उम्र 34 साल, जाति यादव, निवासी ग्राम मान्दी तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल 402, आंचल अपार्टमेन्ट ज्योति नगर लालकोठी जयपुर होना बताया। इस पर मुकेश कुमार से परिवादी विरेन मेहता से रिश्वती राशि का लिफाफा प्राप्त करने के बारे मे पूछा तो मुकेश कुमार ने बताया कि मुझे युवराज मीणा ने यह कहकर भेजा था कि विधानसभा के गेट के सामने खडे आदमी से पार्सल ले लेना इसलिए मैने विधानसभा गेट के सामने खडे व्यक्ति से पार्सल लिफाफा लिया है जो मेरे जैकेट के अन्दर रखा हुआ है, इसी दौरान घटनास्थल पर भीडभाड होने व लिखत पढत की कार्यवाही के लिए स्थान उपलब्ध नही होने के कारण रिश्वती राशि प्राप्त करने वाले श्री मुकेश कुमार को हाथ पकडी हुई अवस्था में एवं युवराज युधिष्ठिर मीणा व प्रदीप सिंह को जाब्ते की मदद से वाहनों मे बैठाकर एवं बोलेरो गाडी बरंग सफेद नम्बर आरजे 14 टीएफ 8518 को भी हमराह लेकर हमराहियान जाब्ता, गवाहान व परिवादी विरेन मेहता व वाहनों केसमय 8.30 पीएम पर एसीबी कार्यालय हेतु रवाना होकर एसीबी कार्यालय पंहुचा जहां पर लिखत पढत व हाथ धुलाई की अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने मुकेश कुमार से परिवादी विरेन मेहता से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध मे पूछा तो श्री मुकेश कुमार ने बताया कि मेरे को आज शाम 7 बजे के लगभग मेरे पडोस मे रहने वाले श्री युवराज मीणा जो नगर निगम अलवर मे नौकरी करते है जिन्होने मेरे को कहा कि जयपुर मे कुछ काम है मेरे साथ चलो जिस पर मैं इनके साथ आया था जिन्होने मेरे को विधानसभा मुख्य दरवाजे के सामने तिराहे पर गाडी से उतारकर कहा कि विधानसभा मुख्य दरवाजे के पास जो व्यक्ति खडा है उससे एक पार्सल लेकर आना है जिस पर मैं रवाना होकर विधानसभा मुख्य दरवाजे के पास पंहुचा जहां पर एक व्यक्ति खडा था जिस पर मैने मेरे मोबाईल से युवराज मीणा के मोबाईल पर कॉल कर उस व्यक्ति से वार्ता करवाई जिस पर उस व्यक्ति ने अपने बैग मे से एक लिफाफा निकाल कर दिया जिसको मैने मेरी पहनी हुई जैकेट के अन्दर रख लिया था। पैकेट मे क्या है मुझे पता नही है। तत्पश्चात परिवादी विरेन मेहता से पूछने पर बताया कि मै युवराज जी के बतायेनुसार विधानसभा मुख्य दरवाजे के पास पंहुचा था जहां पर यह व्यक्ति मेरे पास आया और स्व्यं के मोबाईल से युवराज से बात कराई थी युवराज ने पैकेट इस व्यक्ति को देने के लिए कहा था जिस पर मैने रिश्वती राशि का पैकेट इस व्यक्ति को दे दिया। तत्पश्चात युवराज युधिष्ठिर मीणा से परिवादी विरेन मेहता से मांगी गई एवं मांग के अनुसरण मे प्राप्त की गई रिश्वत राशि के संबंध मे पूछा तो युवराज युधिष्ठिर मीणा ने बताया कि आज से करीब दस दिन पहले यासी कन्सलटेन्सी कम्पनी के प्रतिनिधी श्री विरेन मेहता का मेरे पास कॉल आया था जिन्होने अपनी यासी कन्सलटेन्सी कम्पनी के अलवर नगर निगम क्षैत्र मे युडी टैक्स कलेक्शन के संबंध मे जारी टेण्डर के संबंध मे वार्ता करनी थी तथा इसी क्रम मे आज सुबह विरेन का वाटसअप कॉल आया था जिन्होने अपनी फर्म के कार्य के संबंध मे वार्ता करने एवं मेरे को अपनी तरफ से ऑफर देकर गिफट, रूपये आदि देने के लिए बुलाया था जिस पर मैने इनके बुलाये अनुसार आज विधानसभा मुख्य दरवाजे के पास आया था जहां पर मैने मेरे पडोसी श्री मुकेश कुमार को पैकेट लाने के लिए इनके पास भेजा था। जिन्होने अपनी मर्जी से यह पैकेट गिफ्ट के रूप मे दिया है। जिस पर परिवादी विरेन

मेहता ने युवराज की बात का खण्डन करते हुये कहा कि यह झुठ बोल रहे है, हमारी कम्पनीयासी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड को नगर निगम अलवर से युडी टैक्स कलेक्शन से संबंधित टेण्डर का वर्क ऑर्डर मिला हुआ है। नगर निगम की रेवेन्यू शाखा द्वारा वेरिफाई करने व पुरानी केश बुक सरेण्डर करने के पष्चात् नगर निगम की रेवेन्यू शाखा द्वारा कम्पनी को यूडी टेक्स एकत्रित करने के लिए बिल जारी करने/वितरण करने के लिए अधिकृत किया जाने के उपरांत हमारी कम्पनी द्वारा टैक्स वसूली सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ होना है। इसके लिए मैंने कम्पनी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे कर्मचारियों से डाटा वेरिफाई करवाकर एकत्रित डाटा दिनांक 22.10.2024 को कम्पनी के लेटर हेड से नगर निगम को जमा करवा दिया परन्तु करीब 03 महीने के उपरांत भी नगर निगम अलवर की रेवेन्यू शाखा के रेवेन्यू ऑफीसर युवराज द्वारा मेरी कम्पनी के डाटा वेरिफाई का कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हमारी कम्पनी द्वारा टेण्डर की शर्तों के अनुरूप टैक्स वसूली सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। रेवेन्यू ऑफीसर युवराज ने मुझे बुलाकर व मोबाइल पर वाट्स अप कॉल से वार्ता कर मेरी कम्पनी के डाटा वेरिफाई का कार्य पूर्ण कर कम्पनी को यूडी टेक्स वसूली के बिल तैयार/वितरित करने को अधिकृत करने के लिए 05 लाख रूपये की रिश्वती राशि की मांग की गई थी जो मेरे द्वारा बातचीत करने पर इनके द्वारा इस कार्य के लिए 03 लाख रूपये की रिश्वती राशि लेने पर सहमत हुआ तथा स्वंय की मांग के अनुसरण मे ही तीन लाख रूपये इनके साथ आये व्यक्ति श्री मुकेश को दिलवाकर प्राप्त किये है। तत्पश्चात श्री प्रदीप सिंह से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वती राशि के संबंध मे पूछा तो श्री प्रदीप सिंह ने बताया कि मैं इस बारे मे कुछ नही जानता हूं, मैं तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर मे बालीबाल का मैच देखने आया था जहां से मैच देखने के बाद बाहर आया तो कार्नर पर युवराज मीणा खडा था जो मेरा दोस्त है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी उसने मुझे अपनी गाडी मे बैठा लिया था। मैं रिश्वती राशि के बारे मे कुछ नही जानता हूं। तत्पश्चात परिवादी विरेन मेहताएवं उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप बोक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी मुकेश कुमार के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबीहो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबीहोना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री विरेन मेहता तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही ट्रेप बाॅक्स से दुसरा साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोटल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी मुकेश कुमार के बांये हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री विरेन मेहता तथा आरोपी मुकेश कुमार के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये, तत्पश्चात श्री मुकेश कुमार से रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो श्री मुकेश कुमार ने जैकेट के अन्दर से एक पिले रंग का लिफाफा निकाल कर प्रस्तुत किया लिफाफे मे रखी रिश्वत राशि का दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 600 नोट कुल 3 लाख रूपये होना पाया गया एवं नोटों के नम्बरों का मिलान कार्यालय मे पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटों के नम्बरों से दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तो दोनों गवाहान ने नोटों के नम्बरों का व फर्द मे अंकित नम्बरों के हुबहु मिलान होना बताया। बरामद शुदा नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोट कुल 3 लाख रूपयों जिनमें 100-100 नोटों की कुल 6 गड्डियों को पृथक पृथक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर गवाहान व परिवादी तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार व युवराज युधिष्ठिर मीणा के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी मुकेश कुमार की अन्दर की टिशर्ट खुलवाई तथा जिस जैकेट व टिशर्ट के बिच मे बांयी साईड मे जिस पर जगह पर रिश्वत राशि का लिफाफा रखा हुआ था उस स्थान का धोवन लेने हेतु ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसमें स्वच्छ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी मुकेश कुमार की टिशर्ट के सामने का बांया हिस्से को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क T-1 व T-2 अंकित कर दोनों गवाहान, परिवादी श्री विरेन मेहता तथा आरोपी श्री मुकेश कुमार के हस्ताक्षर करवाये गये व टिशर्ट को सुखाकर टिशर्ट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क T अंकित कर दोनो गवाहान व परिवादी व आरोपी मुकेश कुमार के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात जिस पिले रंग के लिफाफे मे रिश्वती राशि रखी थी उक्त लिफाफे पर संबंधित के हस्ताक्षर

करवा कर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क E अंकित कर सिल्डमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात दोनो गवाहा के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी मुकेश कुमार की जामा तलाशी ली तो पहने हुये पजामा मे 455 रूपये नगद मिले व दो मोबाईल क्रमश कम्पनी रियलमी युआई 5.0 बरंग ग्रे जिसमे एयरटेल कम्पनी की दो सिम नम्बर क्रमश [redacted] व [redacted] लगी हुई जिसके आईएमईआई नम्बर 863352073806292/61 व 863352073806284/61 व दुसरा मोबाईल कम्पनी वन प्लस 6 बरंग निला, जिसमे एयरटेल सिम नम्बर [redacted] व दुसरी सिम जीओ [redacted] लगी हुई है व आईएमईआई नम्बर 867520040467812 व 867520040467804 है जिसकी पिछे से बोडी टुटी हुई है व आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा की जामा तलाशी ली गई तो 18000 रूपये नगद मिले व दो मोबाईल फोन क्रमश आईफोन 16 प्रो0 बरंग हल्का गुलाबी जिसमे जीओ सिम नम्बर [redacted] लगी हुई है व आईएमईआई नम्बर 354707571019530 व 354707571345984 है व दुसरा मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 6 बरंग सफेद जिसमे दो सिम क्रमश जीओ नम्बर [redacted] व वोडाफोन सिम नम्बर [redacted] लगी हुई है व आईएमईआई 355566791179386 व 355933711179385 है। मुकेश कुमार व युवराज युधिष्ठिर मीणा की जामा तलाशी मे मिली राशि को कब्जा एसीबी लिया गया व इनके पास मिले चारों मोबाईलों को फ्लाईट मोड पर किया जाकर वास्ते जांच कब्जा एसीबी लिया गया। बोलेरो गाडी नम्बर आरजे 14 टीएफ 8518 जिसमे युवराज युधिष्ठिर मीणा, मुकेश कुमार, प्रदीप सिंह आये थे के बारे मे पूछताछ पर युवराज युधिष्ठिर मीणा ने बताया कि उक्त बोलेरो नगर निगम अलवर मे अनुबंध पर लगी हुई है उक्त बोलेरो की तलाशी स्वंतत्र गवाहान व युवराज मीणा की उपस्थिति मे ली गई तो बोलेरो मे एक बा्रउन कलर का लेदर का बैग मिला जिसमे एक पर्स जिसमे युवराज युधिष्ठिर मीणा का आधार कार्ड नम्बर 690574087581 व युवराज युधिष्ठिर मीणा का पैन कार्ड नम्बर एवीसीपीएम 2367एच, ड्राईविंग लाईसेन्स एवं सुनिता खेमाणी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रमश 897354317309 व डीसीक्युएम6391एच तथा वाहन संख्या आरजे 45 सीजी 4410 होण्डा अमेज आरसी आ◌ॅनर युवराज युधिष्ठिर मीणा की मूल आरसी, तथा आईसीआई बैंक खाता संख्या 67550142215, आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 675505600488 सात्विक इन्टरप्राईजेज की चैक बुक तथा एक डायरी बरंग मैहरून कवर पेज पर एसआरआईजेएम अंग्रेजी मे लिखा हुआ है मिली। उक्त दस्तावेज को मय लेदर बैग वास्ते जांच कब्जा एसीबी लिया गया। वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 8518 को बतौर वजह सबूत मय वाहन की चाबी के जब्त किया गया। उपस्थित युवराज युधिष्ठिर मीणा से परिवादी विरेन मेहता से संबंधित फर्म याशी कन्सलटिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमि0 को युडी टैक्स के संबंध मे जारी टेण्डर से संबंधित पत्रावली एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड के बारे मे पूछा तो श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा ने उक्त पत्रावली व रिकॉर्ड नगर निगम कार्यालय अलवर मे होना बताया। तत्पश्चात श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा से प्रदीप सिंह यादव के बारे मे पुछा गया तो युवराज मीणा ने बताया कि प्रदीप सिंह मेरा मित्र है जिससे मेरी बातचीत होती रहती है, आज मैने शाम के समय प्रदीप को का◌ॅल किया था तो उसने मुझे बताया कि मैं एसएमएस स्टेडियम के पास मैच देखने आया हुआ हु तो मैने उसको कहा कि विधानसभा गेट के पास मिलना साथ बैठकर बात करेगें मेरे बेटे की स्कुल फिस जमा करानी है जो आप जमा करा देना मैं विधानसभा के सामने ही आ रहा हूं, मैने मुकेश को उतारने के बाद प्रदीप को मेरी गाडी मे बैठाया था, इसी दौरान आपके द्वारा कार्यवाही की गई है, प्रदीप का इस कार्यवाही के संबंध मे कोई लेनादेना नही है। उपरोक्त तथ्यों की ताईद उपस्थित मुकेश ने की है। इस प्रकार प्रदीप सिंह यादव का उपरोक्त समस्त कार्यवाही से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य अथवा कोई परिस्थितिजन्य तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत नही होते है अतः उपस्थित प्रदीप सिंह यादव द्वारा पूर्व मे भी उपरोक्त तथ्यों की ताईद की गई है अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप प्रदीप सिंह यादव का उपरोक्त प्रकरण व ट्रेप कार्यवाही से संबंधित कोई संबंध नही होने से प्रदीप सिंह यादव को बाद पूछताछ रूखसत किया। प्रदीप सिंह यादव से दौराने कार्यवाही किसी प्रकार की कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु जब्त नही की गई है व ना ही कब्जा एसीबी लिया गया है। दौराने कार्यवाही वक्त रिश्वत लेनदेन की वार्तालाप जो परिवादी विरेन मेहता तथा युवराज युधिष्ठिर मीणा, मुकेश कुमार के मध्य हुई है जो विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे दर्ज है को ऑन कर मन पुलिस निरीक्षक ने गवाहान की उपस्थिति मे सुना गया तो उक्त वार्तालाप मे युवराज युधिष्ठिर मीणा द्वारा परिवादी विरेन मेहता से उसकी फर्म याशी कन्सलटींग प्राईवेट लिमिटेड के नगर निगम अलवर मे युडी टैक्स से संबंधित टेण्डर के कार्य को करने के लिए रिश्वत राशि 3 लाख रूपये परिवादी से प्राप्त करने के लिए वार्तालाप दर्ज है जिसमें युवराज मीणा द्वारा स्वंय के लिए रिश्वत राशि 3 लाख रूपये प्राप्त करने के लिए अपने दलाल मुकेश कुमार को परिवादी विरेन मेहता के पास भेजकर राशि 3 लाख रूपये प्राप्त करने के तथ्य दर्ज होना पाया गया। इसके पश्चात दिनांक 08.01.2025 समय 12-15 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री मुकेश कुमार को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा जाकर नोटिस नमूना आवाज दिया गया जिस पर आरोपी श्री मुकेश कुमार ने नोटिस की एक प्रति पर अपनी आवाज का नमूना देने के लिए लिखित मे मना किया। तत्पश्चात समय 12-30 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा हाल कर निर्धारक अतिरिक्त कार्यभार राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कहा जाकर नोटिस नमूना आवाज दिया गया जिस पर आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा ने नोटिस की एक प्रति पर अपनी आवाज का नमूना देने के लिए लिखित मे मना किया।

इसके पष्चात समय 12-45 ए.एम. पर आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर हाल कर निर्धारक अतिरिक्त कार्यभार राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर के विरूद्व धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 12-50 ए.एम. पर इस आरोपी श्री मुकेश कुमार निवासी मकान नम्बर 494 छीला बावडी के पास राजावतों का चैक आमेर जयपुर के विरूद् धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्र गवहान श्री जगदीश नावरिया व अक्षत शर्मा व परिवादी विरेन मेहता को सुबह 10.30 एएम पर एसीबी कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। जब्तशुदा वजह सबूत सिल्डशुदा धोवन की शिशियां, सिल्डशुदा पैकेट व सिल्डशुदा रिश्वती राशि को कार्यालय के मालखाना मे सुरक्षित रखवाया जाकर तालाबन्द किया गया व डिजीटल वाईस रिकार्ॅडर को सुरक्षित स्वंय की कार्यालय की अलमारी मे रखा गया। इसके पश्चात दिनांक 08.01.2025 को समय 12-30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी विरेन मेहता ने दिनांक 06.01.2025 को स्वंय के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय 02.23 पीएम व 03.05 पीएम पर वाटसअप कॉल से हुई वार्तालाप को स्वंय के अन्य मोबाईल पर रिकॉर्डर की गई थी की दोनों वाईस क्लिप वार्ताएं पेश की जिन्हे कार्यालय के लेपटॉप पर व्हाटस अप वेब से कनेक्ट कर डाउनलोड कर वार्तालाप शब्द बशब्द सुनी जाकर वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। वॉइस क्लिप वार्ताओं में परिवादी श्री विरेन मेहता द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की व दुसरी आवाज संदिग्ध आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा की पहचान की गई तथा वार्ता रूपान्तरण दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी द्वारा सही होना स्वीकार किया। वा ॅईस क्लिप रिकॉर्ड वार्ताओं की डिवीडी बनवाने हेतु कार्यालय से 04 डीवीडी मंगवायी जाकर डिवीडी खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से 04 डीवीडी तैयार की जाकर चारों डिवीडियों में वाईस क्लिपें होना सुनिश्चित कर डिविडयों पर क्रमशः मार्क A-1, A-2 व A-3, A-4 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर 03 डिवीडी मार्क A-1 व A-2, A-3, को अलग-अलग डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः A-1 व A-2 (न्यायालय हेतु) मार्क A-3 (आरोपीं हेतु) अंकित कर थैलियों पर भी स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। डिवीडी मार्क मार्क A-4 (अनुसंधान अधिकारी) खुली रखी गई। उपरोक्त दोनों वाटसअप ऑडियो वॉइस क्लिप परिवादी विरेन मेहता द्वारा स्वंय के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा के मोबाईल पर वाटसअप कॉल की रिकॉर्डिग है, परिवादी के उपरोक्त मोबाईल नम्बर के वाटसअप कॉल मय धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र का स्क्रिनशॅाट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया एवं परिवादी विरेन मेहता द्वारा उक्त वाटसअप कॉल वार्ता की रिकॉर्डिग स्वंय के दुसरे मोबाईल एप्पल आईफोन एक्सआर जिसके आइएमईआई 1 नम्बर 352887111599043, आइएमईआई 2 नम्बर 352887111383513 है जिसमे मोबाईल नम्बर [redacted] की सिम लगी हुई है में की गई है,। दोनो वॉइस क्लिप मोबाईल के वॉईस मेमो एप्लीकेशन में Arivind Malkhan Marg 2 व Arivind Malkhan Marg के नाम से फाईल सेव है अतः उक्त मोबाईल इन वॉइस क्लिप वार्ताओं का मूल सोर्स होने से मोबाईल को अनलॉक करवाकर स्विच ऑफ कर जब्त कर कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क Iphone अंकित कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी विरेन मेहता ने अपना आईफोन प्रस्तुत करने के संबंध मे धारा 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल फर्द किया गया। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग वार्ता (वाटसअप कॉल वार्ता की वॉईस क्लिप) परिवादी विरेन मेहता व आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा के मध्य दिनांक 06.01.2025 को हुई वाटसअप कॉल की वार्तालाप पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 1-30 पी.एम. पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान व परिवादी विरेन मेहता के समक्ष परिवादी श्री विरेन मेहता की आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा, कर निर्धारक अतिरिक्त प्रभार राजस्व अधिकारी नगर निगम अलवर से दिनांक 07.01.2025 को परिवादी विरेन मेहता के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा के मोबाईल नम्बर [redacted] पर हुई वाटसअप कॉल पर हुई सत्यापन वार्तालाप एवं रिश्वत लेनदेन हेतु परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप तथा रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी विरेन मेहता व सहआरोपी मुकेश कुमार के मध्य हुई वार्तालाप की ऑडियो क्लिप विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे लगे एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी मे सेव है उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखी गई थी। उक्त एसडी कार्ड लगे डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय लेपटॉप मे जोडकर सुना गया तो रिकॉर्डशुदा वार्ता में परिवादी विरेन मेहता से आरोपीगण युवराज युधिष्ठिर मीणा, सहआरोपी मुकेश कुमार द्वारा रिश्वत मांग/रिश्वत लेनदेन के संबंध मे की गई वार्ता दर्ज है जिनकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। दिनांक 07.01.2025 की रिकॉर्ड वार्ताओं में परिवादी श्री विरेन मेहता द्वारा एक आवाज अपनी स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी तथा सहआरोपी मुकेश कुमार की होना पहचान की गई तथा वार्ता रूपान्तरण को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी विरेन मेहता द्वारा सही होना स्वीकार किया। रिकॉर्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु कार्यालय से 05 डीवीडी मंगवायी जाकर डिविडियां खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से 05 डिवीडी तैयार की जाकर पांचों

डिविडीयों में वाईस क्लिपें होना सुनिश्चित कर डिवीडियों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2 व B-3, B-4, B-5, अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर चार डिवीडी मार्क B-1, B-2 व B-3, B-4 को अलग-अलग डिवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर मार्क क्रमशः B-1 व B-2 (न्यायालय हेतु) मार्क B-3, B-4, (आरोपियों हेतु) अंकित कर थैलियों पर भी स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। डिवीडी मार्क मार्क B-5 (अनुसंधान अधिकारी) खुली रखी गई। वार्तालाप से संबंधित मूल सोर्स एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को प्लास्टिक कवर मे रखकर अलग से माचिस की डिब्बी मे डालकर सफेद कपडे की थैली मे डालकर सिल्डमोहर कर मार्क SD अंकित कर थैली पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी विरेन मेहता व आरोप युवराज युधिष्ठिर मीणा के मध्य दौराने सत्यापन वाटसअप कॉल पर वार्ता करवाई थी जिसमें परिवादी के मोबाईल की स्क्रिन की विडियोग्राफी मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय के मोबाईल मे एसडी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी डालकर की गई थी उपरोक्त मूल एसडी कार्ड को पृथक से प्लास्टिक कवर मे रखकर माचिस की डिब्बी मे डालकर एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क SD 1 अंकित कर परिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग व रिश्वत लेनदेन वार्ता परिवादी विरेन मेहता व आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा, मुकेश कुमार के मध्य दिनांक 07.01.2025 को हुई वाटसअप कॉल व लेनदेन वार्तालाप पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार अब तक की उपरोक्त समस्त कार्यवाही तथा तथ्यों से आरोपी युवराज युधिष्ठिर मीणा, कर निर्धारक अतिरिक्त प्रभार राजस्व अधिकारी नगर निगम अलवर द्वारा परिवादी विरेन मेहता अधिकृत प्रतिनिधि प्रोजेक्ट मैनेजर याशी कन्सलटींग सर्विसेज प्राईवेट लिमि0 से परिवादी की फर्म याशी कन्सलटींग प्राईवेट लिमिटेड को नगर निगम अलवर मे प्राप्त युडी टैक्स कलेक्ट के टेण्डर से संबंधित स्वयं के पास पैण्डिंग विधिक कार्य डाटा वेरिफिकेशन व अन्य कार्य को वेरिफाई करने के लिए 3 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना व मांग के अनुसरण मे परिवादी विरेन मेहता से स्वंय के लिए 3 लाख रूपये रिश्वत राशि स्वंय के दलाल प्राईवेट व्यक्ति मुकेश कुमार के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रमाणित पाया जाने से युवराज युधिष्ठिर मीणा, कर निर्धारक अतिरिक्त प्रभार राजस्व अधिकारी नगर निगम अलवर तथा प्राईवेट व्यक्ति मुकेश कुमार के विरूध धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपीगण 1. श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा पुत्र श्री कैलाश नारायण मीणा, उम्र 36 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 496 छीला बावडी के पास, राजावतों का चैक, आमेर, जयपुर हाल कर निर्धारक अतिरिक्त कार्यभार राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर कुमार उम्र 38 वर्ष, जाति जागा, निवासी मकान नम्बर 494 छीला बावडी के पास राजावतों का चैक आमेर जयपुर के विरूद्ध धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (छोटीलाल) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री छोटीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7, 12 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1. श्री युवराज युधिष्ठिर मीणा पुत्र श्री कैलाश नारायण मीणा, उम्र 36 वर्ष, निवासी मकान नम्बर 496 छीला बावडी के पास, राजावतों का चैक, आमेर, जयपुर हाल कर निर्धारक अतिरिक्त कार्यभार राजस्व अधिकारी, नगर निगम अलवर 2. श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर कुमार उम्र 38 वर्ष, जाति जागा, निवासी मकान नम्बर 494 छीला बावडी के पास राजावतों का चैक आमेर जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 151 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 16-19 दिनांक 09-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3-निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-द्वितीय, जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/09/1988				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)